

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ **689** /2022-23 दिनांक 05 अगस्त, 2022

‘विज्ञप्ति / नियुक्ति’

सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या 244/70/01 डी०आर०(मा०शि०)/सेवा-1/2019-20 दिनांक 14 जून, 2022 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-47755/XXIV-B-1/2022-17(01)/2019 टी०सी० दिनांक 06 जुलाई, 2022 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनकम रू० 47600-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता गणित (सामान्य शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

क० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी /उप श्रेणी	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
1	प्रज्ञा त्रिपाठी	बृजेश त्रिपाठी इन्दिरा कालोनी लैन न०-3 रुद्रपुर, जिला-उधमसिंह नगर	GEN/UF	01.07.1996 उधमसिंह नगर	एम०एस-सी० गणित, बी०एड०	रा०इ०का० भकूना, ताकुला, अल्मोड़ा।	रिक्त पद के प्रति
2	आजाद रमोला	प्यार चन्द रमोला कालेज रोड सुमन कालोनी चम्बा, जिला-टिहरी	GEN/UF	30.10.1995 टिहरी	एम०एस-सी० गणित, बी०एड०	रा०इ०का० कटूड हिन्दाव, भिलंगना, टिहरी।	रिक्त पद के प्रति
3	हिमानी रावत	अजय रावत ग्राम-भवानीपुर छोटी पो०ओ०- पीरुमादरा तहसील-रामनगर जिला-नैनीताल	GEN/UF	17.07.1987 नैनीताल	एम०एस-सी० गणित, बी०एड०	रा०इ०का० पनिया, चम्पावत।	रिक्त पद के प्रति
4	खिला दानू	कुन्दन सिंह ग्राम- कुल्हा पो०ओ०-म०आ० सिंह(चक्कीमोड़) थाना-दिनेशपुर जिला-उधमसिंह नगर	GEN/UF	01.07.1983 उधमसिंह नगर	एम०ए० गणित, बी०एड०	रा०इ०का० दूनाकोट, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	रिक्त पद के प्रति
5	रंजन वर्मा	जगदेव वर्मा वार्ड-7 राजकीय अस्पताल के पीछे, बेगास गेट के सामने रामराज रोड बाजपुर जिला- उधमसिंह नगर	OBC	03.04.1987 उधमसिंह नगर	एम०एस-सी० गणित, बी०एड०	रा०इ०का० भेटा, बागेश्वर।	रिक्त पद के प्रति

✓

✓

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	श्रेणी /उप श्रेणी	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
6	शुभम शाह	पवन कुमार शाह मकान न०-104 निकट प्राइमरी स्कूल ग्राम व पो०ओ०-निम्बूचौर कोटद्वार जिला-पौड़ी	SC	17.06.1996 पौड़ी	एम०ए० गणित, बी०एड०	रा०इ०का० बूगीघार, थलीसैण, पौड़ी।	रिक्त पद के प्रति

2. उक्त नियुक्तियां मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं०-238/2020 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1359/2020 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-386/2020 (एस०बी०), रिट याचिका सं०-3516/2018 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1350/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1245/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1397/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1356/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1037/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-947/2021 (एस०एस०), रिट याचिका सं०-1507/2021 (एस०एस०) में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

3. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 20 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

4. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पु०सं०-सेवा-2/अराज०/12000-12011/2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रधानाचार्य के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की भली भांति मिलान एवं जांच करवाते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना निदेशालय एवं संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराये, साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
- (10) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की उनके मूल अभिलेखों से भली-भांति जांच करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण कराये तथा प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित खण्ड